N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0285 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/12/2024 16:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 06/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:45 बजे **Time To (समय तक):** 11:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/12/2024 **Time (समय):** 14:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/12/2024 16:23:12 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 540 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** karyalya mukhy chikitsa avam, swasthya adhikari jila banswra

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** surendra patel

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** jagji patel

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	thikriya, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	thikriya, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	harikant sharma		पिता:mahesh chandra sharma	1. singhwa odichya wada gali,BANSWARA,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि " मै प्रार्थी सुरेन्द्र पटेल पुत्र श्री जगजी पटेल उम्र 35 वर्ष निवासी गांव ठीकरिया का होकर निवेदन इस प्रकार है कि मेरी हाईटेक लेबोरेट्री मोहन कोलोनी गली नं 01 सिटी हॉस्पीटल के नीचे 1 फ्लोर संचालित है। जिस पर दिनांक 30.11.2024 को मेरी लैबोरेट्री पर श्री हरिकान्त शर्मा आये और मेरी लैबोरेट्री का सफाईकर्मी सफाई कर रहा था, जिसकों बोला तेरे लेबोरेट्री का मालिक कहा है। सफाईकर्मी से लैबोरेट्री बंद कराके लैबोरेट्री की चाबी साथ में ले गये जाते जाते बोलते गये कि तेरा मालिक आये तो ब्डभ्व् ऑफिस भेज देना जब मुझे पता चला तो आज दिनांक 03.12.2024 को ब्डभ्व्ऑफिस गया तो वहां श्री हरिकान्त शर्मा मिले उन्होने बताया कि रजिस्ट्रेषन हो जायेगा 30,000 हजार रुपये लगेगें पानी में रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करनी पडेगी। मैं श्री हरिकान्त शर्मा को 30,000 हजार रुपये की रिष्वत राषि देना नही चाहता हुं। रिष्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरी हरिकान्त शर्मा से जाति दुष्मनी नही है और न ही मेरा लेनदेन उधार बाकी है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें।" दिनांकः-04.12.2024 सही/- सुरेन्द्र पटेल पुत्र जगजी पटेल निवासी ठीकरिया मो0 [redacted] कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 04.12.2024 समय 12.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दो योम आकस्मिक अवकाश उपभोग कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। जहां पूर्व से श्री सुरेन्द्र पटेल पुत्र श्री जगजी पटेल उम्र 35 वर्ष निवासी गांव ठीकरिया ब्यूरो चौकी पर उपस्थित मिला जिसे कार्यालय कक्ष में बुलाया गया तो परिवादी द्वारा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को परिवादी को पढकर सुनाया गया तो परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल ने शब्द-ब-षब्द सही होना व प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। माजिद दरियाप्त पर परिवादी ने बताया कि " मै प्रार्थी सुरेन्द्र पटेल पुत्र श्री जगजी पटेल उम्र 35 वर्ष निवासी गांव ठीकरिया का होकर निवेदन इस प्रकार है कि मेरी हाईटेक लेबोरेट्री मोहन कोलोनी गली नं 01 सिटी हॉस्पीटल के नीचे 1 फ्लोर पर संचालित है। जिस पर दिनांक 30.11.2024 को मेरी लैबोरेट्री पर श्री हरिकान्त शर्मा आये और मेरी लैबोरेट्री का सफाईकर्मी सफाई कर रहा था, जिसकों बोला तेरे लेबोरेट्री का मालिक कहा है। सफाईकर्मी से लैबोरेट्री बंद कराके लैबोरेट्री की चाबी साथ में ले गये जाते जाते बोलते गये कि तेरा मालिक आये तो ब्डभ्व् ऑफिस भेज देना जब मुझे पता चला तो आज दिनांक 03.12.2024 को ब्डभ्व् ऑफिस गया तो वहां श्री हरिकान्त शर्मा मिले उन्होने बताया कि रजिस्ट्रेषन हो जायेगा 30,000 हजार रुपये लगेगें पानी में रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करनी पडेगी। मैं श्री हरिकान्त शर्मा को 30,000 हजार रुपये की रिष्वत राषि देना नही चाहता हुं। रिष्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरी हरिकान्त शर्मा से जाति दुष्मनी नही है और न ही मेरा लेनदेन उधार बाकी है।" दरियाप्त पर परिवादी से आवश्यक पूछताछ एवं प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र से मामला रिष्वत राषि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिष्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवष्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित श्री राजेश कुमार कानि 555 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकोर्डर मय नये रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा श्री राजेश कानि 555 का परिचय परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल से करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान किये गये। परिवादी को ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। परिवादी को पूछा गया की अभी संदिग्ध श्री हरिकान्त शर्मा कहां मिलेगा तो परिवादी ने बताया की श्री हरिकान्त शर्मा अभी सीएमएचओ कार्यालय में मिल जाएंगा जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व श्री राजेश कुमार कानि 555 को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नये रिक्त मेमोरी कार्ड के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी एवं श्री राजेश कुमार कानि को अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकल से सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा के लिए मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 02.19 पी. एम. पर श्री राजेश कुमार कानि ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आया व डिजीटल टेप रिकोर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि समय करीब 01.10 पीएम पर मैं व परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल सीएमएचओ ऑफिस के आस-पास पहूंचे व मैने टेप रिकॉर्डर मय नए मेमोरी कार्ड चालु कर परिवादी को सुपूर्द कर सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा के लिए रवाना किया। मै सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा के आस-पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के इंतजार में रहा कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया व ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया जिसे मैने बन्द कर

सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया की मै सीएमएचओ कार्यालय पहूंच श्री हरिकान्त शर्मा के कार्यालय कक्ष में गया तो वहां उनके कक्ष में कम्पयुटर ऑपरेटर उपस्थित मिला जिससे मैने श्री हरिकान्त जी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि श्री हरिकान्त जी बाहर गए है जिस पर मैने श्री हरिकान्त जी को अपने मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रखते हुए व्हॉट्सएप कॉल किया तो उन्होने दो तीन घण्टे में कार्यालय आकर मुझे मोबाईल कॉल करने की बात कही। जिस पर मैने परिवादी को समझाईश कि गई की अगर श्री हरिकान्त का कॉल आता है तो तुरन्त मुझे जरिये मोबाईल सूचित करने की हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय हाजिर हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो कानि द्वारा बताए गए तथ्यो की ताईद हुई डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया और कानि को आवश्यक हिदायत दि गई कि जैसे ही परिवादी सम्पर्क करे तो तुरन्त मुझे अवगत कराये। समय 04.20 पी. एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैने श्री हरिकान्त जी के बारे में पता किया तो वे सीएमएचओ कार्यालय पर आ गए है। जिस पर श्री राजेश कुमार कानि को कार्यालय कक्ष की अलमारी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मंगवाकर परिवादी के साथ उसकी निजी मोटरसाईकल से सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा के लिए रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 06.30 पी.एम. पर कानि श्री राजेश कुमार व परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आए और कानि द्वारा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ बन्द हालात में मुझे सुपूर्द कर बताया की ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना होकर मै व परिवादी सीएमएचओ कार्यालय के आस-पास पहूचें जहां मैने परिवादी को ब्यूरो डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालुकर श्री हरिकान्त शर्मा से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा के लिए रवाना किया तथा मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कार्यालय के आस-पास परिवादी के इंतजार में मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु हालात में सुपूर्द किया जिसे मैने अपने पास बन्द कर सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने बताया कि मैने सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा पहूंच श्री हरिकान्त शर्मा से मिला तो उन्होने मुझसे मेरे लेबोरेट्रि के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में वार्ता करते हुए मुझसे पच्चीस हजार रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ और पन्द्रह हजार रूपये मुझसे मांग कर ग्रहण कर लिए है। तथा शेष दस हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 05.12.2024 को प्रातः ग्यारह बजे मुझे सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा पर बुलाया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर चलाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश को सुना गया तो कानि द्वारा बताए गए तथ्यो की ताईद हुई परिवादी ने भी कानि द्वारा बताए गए तथ्यो की ताईद की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल को संदिग्ध श्री हरिकान्त शर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि दस हजार रूपये लेकर कल दिनांक 05.12.2024 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आने और कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की समझाईश कर मुनासिब हिदायत के रूखसत किया गया। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। परिवादी के उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान तलब कर आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 05.12.2024 समय 10.30 ए.एम. पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के नाम कार्यालय पत्रांक 1466 दिनांक 05.12.2024 जारी कर श्री बन्सीलाल कानि. 63 को तहरिर देकर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। समय 11.30 एएम पर श्री बन्सीलाल कानि. 63 दोनो स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द्र मीणा सहायक अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भूं-संरक्षण विभाग जिला बांसवाडा एवं श्री प्रदीप शर्मा सहायक सांख्यिकी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा को हमराह लेकर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बैठाया गया। समय 12.00 पीएम पर तलबिदा शुदा परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल मय रिष्वत राषि 10,000 रुपये लेकर ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आया। परिवादी ने बताया की मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से में आपके कार्यालय पर बताए गए समय पर उपस्थित नही आ पाया। समय 12.10 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री योगेन्द्र मीणा एवं श्री प्रदीप शर्मा को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनो गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 04.10.2024 को पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी ने शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.20 पीएम पर दिनांक 04.12.2024 को समय 01.18 पीएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व कम्प्युटर ऑपरेटर पुष्पकान्त राणा से आमने-सामने एवं आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक से मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को अलमारी से निकालकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 12.50 पीएम पर दिनांक 04.12.2024 को समय 05.12 पीएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व आरोपी श्री हरिकान्त

शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक की आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर में रिकॉर्ड किया गया। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 02.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल को आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री राजेश कुमार कानि 555 से कार्यालय कक्ष के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर श्रीमति पूनम मकानि 542 को सम्भलवाई गई तथा मकानि द्वारा कार्यालय की टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित मकानि से रखवाया गया तथा सफेद लिफाफे के दोनो और भी फिनोफ्थलीन पाउडर मकानि से लगवाया जाकर उपरोक्त लिफाफे मय नोटो को परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में रखने से पूर्व परिवादी की जामातलाशी श्री योगेन्द्र मीणा स्वतन्त्र गवाह से लिवाई जाने के पश्चात उक्त जेब में लिफाफा मय नोट श्रीमति पूनम मकानि 542 से कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री राजेश कुमार कानि 555 से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोल गिलास में कार्यालय कक्ष में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति पूनम मकानि की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो लिफाफा मय नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति पूनम मकानि से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री राजेश कुमार कानि 555 को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सभलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री राजेश कुमार कानि 555 के मोबाईल नम्बर पर मीस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। श्रीमति पूनम मकानि. को ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। दिनांक 05.12.2024 समय 02.25 पीएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री हरिकान्त जी फिल्ड में निकल जाते है, जिस पर परिवादी को उसके मोबाईल नं [redacted] को लाउड स्पीकर पर रखते हुए आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के मोबाईल नं [redacted] पर व्हॉट्सएप कॉल कर वार्ता करवायी गई और उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आरोपी द्वारा परिवादी का कॉल रिसीव नही किया गया। समय करीब 03.22 पीएम पर आरोपी ने परिवादी के मोबाईल पर व्हाट्सएप कॉल किया और सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा पर आने के लिए कहा गया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवा कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 03.57 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल को स्वयं की निजी मोटरसाईकल व श्री राजेश कुमार कानि डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ एवं श्री पंकज कुमार कानि को निजी मोटरसाईकल से एवं श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बन्सीलाल कानि को निजी मोटरसाईकल से सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा के रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी कम्प्युटर, प्रिंटर के जरिये श्री राजेश कुमार कानि की निजी कार से ब्यरो इकाई बांसवाडा से रवाना हुए। समय 04.07 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ब्यूरो कार्यालय से रवानाषुदा सीएमएचओ कार्यालय के आस पास पहुच कर अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडा कर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल को श्री राजेश कुमार कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपुर्द कर सीएमएचओ कार्यालय की ओर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। कुछ समय पश्चात

परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालात में सुपूर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित रखने हेतु श्री राजेश कुमार कानि को सम्भलाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि मै सीएमएचओ कार्यालय पर गया तो वहां श्री हरिकान्त शर्मा के कार्यालय कक्ष पर ताला लगा हुआ था जिस पर मैने अपने मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर व्हॉट्सएप कॉल की तो हरिकान्त जी द्वारा मुझे जरिये मोबाईल बताया की मै अभी बाहर निकल गया हुं आकर कॉल करता हुं जिस पर मैने पूछा की आप कहां हो मै आ जाता हूं तो श्री हरिकान्त शर्मा ने कहां की मै बाहर हू कल तुम्हे सुबह फोन करूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर मुख्य-मुख्य अंश सुने गए तो परिवादी द्वारा तथ्यों की ताईद हुई। अब आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के सीएमएचओ कार्यालय पर आने की सम्भावना नही होने से परिवादी के आगे की दाहिनी जेब में रखी दस हजार रूपये की रिश्वती राशि के लिफाफे को स्वतन्त्र गवाह श्री प्रदीप शर्मा से निकलवाई जाकर सुरक्षित उनके पास रखवाई जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाप्ता आवश्यक संसाधन के अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिए रवाना हुए। दिनांक 05.12.2024 समय 04.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाह तथा ब्यूरो जाप्ता उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचकर स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप शर्मा से रिश्वती राशि दस हजार रूपये का लिफाफा श्री राजेश कुमार कानि को सुपूर्द कराते हुए सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। समय 04.35 पीएम पर दिनांक 05.12.2024 को समय 03.22 पीएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक से मोबाईल पर हुई वार्ता एवं दिनांक 05.12.2024 को समय 04.10 पीएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक से मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये।उक्त कार्यवाही का पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जावेगा। दिनांक 05.12.2024 समय 05.30 पीएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द मीणा व श्री प्रदीप शर्मा को कल दिनांक 06.12.2024 को 10.00 एएम पर ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दिनांक 06.12.2024 समय 10.00 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल एवं दोनो स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द्र मीणा व श्री प्रदीप शर्मा ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आए जिन्हे कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बैठाया गया। दिनांक 06.12.2024 समय 10.50 एएम पर ब्यूरो के मालखाने में सुरक्षित रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री राजेश कुमार कानि से मंगवाया गया तथा परिवादी को उसके मोबाईल नं [redacted] को लाउड स्पीकर पर रखते हुए आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के मोबाईल नं [redacted] पर व्हॉट्सएप कॉल कर वार्ता करवायी गई और उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आरोपी द्वारा परिवादी का कॉल रिसीव नही किया गया। समय करीब 11.03 एएम पर आरोपी ने परिवादी के मोबाईल पर व्हाट्सएप कॉल किया और सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा पर आने के लिए कहा गया। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखवा कर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा ब्यूरो कार्यालय के मालखाने श्री राजेश कुमार कानि से खुलवाया जाकर उसमें सुरक्षित रखे रिश्वती राशि दस हजार रूपये के लिफाफे को श्रीमति पूनम मकानि 542 से निकलवाया जाकर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में अन्य कोई वस्तु नही छोडते हुए रखवाया गया। समय 11.06 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल को स्वयं की निजी मोटरसाईकल व श्री राजेश कुमार कानि मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ एवं श्री पंकज कुमार कानि को निजी मोटरसाईकल से एवं श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बन्सीलाल कानि को निजी मोटरसाईकल से सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा के रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी कम्प्युटर, प्रिंटर के जरिये श्री राजेश कुमार कानि की निजी कार से ब्यरो इकाई बांसवाडा से रवाना हुए। समय 11.14 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा सीएमएचओ कार्यालय के आस पास पहुच कर अपने-अपने वाहनों को रोड के साईड में खडा कर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल को श्री राजेश कुमार कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर सुपुर्द कर सीएमएचओ कार्यालय की ओर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। समय 11.30 एएम पर समय करीब 11.25 एएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल ने श्री राजेश कुमार कानि के मोबाईल पर कॉल कर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण करने का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर श्री राजेश कानि द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल सूचना देने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता सहित परिवादी के पास सीएमएचओ कार्यालय परिसर के बाहरी चौक पहुंचे। जहां मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर श्री पंकज कुमार कानि द्वारा परिवादी से

ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी ने सीएमएचओ कार्यालय परिसर के बाहरी चौक में खडे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री हरिकान्त शर्मा जी है। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ब्यूरो जाप्ता ने श्री हरिकान्त शर्मा को सीएमएचओ कार्यालय परिसर के बाहरी चौक में ही पकडने पर श्री हरिकान्त शर्मा जोर जोर से शोर मचाने लगा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम हरिकान्त शर्मा बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह, परिवादी व ब्यूरो जाब्ता के साथ आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा को उसके कार्यालय कक्ष में ले गए जहां एक टेबल कुर्सी पर व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री पुष्पकान्त राणा पिता श्री नटवरलाल राणा उम्र 34 वर्ष निवासी खान्दु कॉलोनी जिला बांसवाडा हाल कम्प्युटर ऑपरेटर ठेका कर्मी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा होना बताया। जिस पर पुष्पकान्त राणा कार्यालय कक्ष में साईड में कुर्सी पर बैठा दिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा को अपना व हमराहियन का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत कराया जाकर उससे उसका पूर्ण नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरिकान्त शर्मा पिता स्व. श्री महेशचन्द्र शर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी सिंगवा औदिच्य वाडा गली जिला बांसवाडा हाल जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा होना बताया। तत्पश्चात आरोपी हरिकान्त शर्मा से परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो पहले वह जोर जोर से शोर करने लगा और कहने लगा मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है सुरेन्द्र पटेल जबरदस्ती मेरे टेबल की दराज में रख के गया है। जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल ने बताया की श्री हरिकान्त शर्मा झुठ बोल रहे है मै जब इनके कार्यालय कक्ष में आया तो मुझे देखकर कार्यालय कक्ष से बाहर निकल गए। इसके बाद कक्ष में बैठे कम्प्युटर ऑपरेटर ने मुझे मेरे लेबोरेट्रि पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति सौपकर मुझसे फाईल में हस्ताक्षर करवाए गए। जिसके बाद मै इनके सीएमएचओ कार्यालय से बाहर आया और श्री हरिकान्त जी नजर नही आने पर उनके मोबाईल पर कॉल किया तो उन्होने कॉल रिसीव नही किया जिसके बाद मै पुनः उनके कार्यालय कक्ष की तरफ गया तो वह मुझे सीएमएचओ कार्यालय के बरामदे में दिखे और मुझे रिश्वत राशि कार्यालय कक्ष में रखने का ईशारा किया जिस पर मेंरे द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में जाकर उनकी टेबल की दराज में रिश्वत राशि का लिफाफा रख दिया जिस पर उनके कक्ष में बैठे कम्प्युटर ऑपरेटर ने कहां की तुम क्या रख रहे हो तो मैने कहां कि हरिकान्त जी ने मांग की थी वो रख रहा हुं कहकर मैने कक्ष से बाहर आकर श्री राजेश कानि को कॉल कर ईशारा किया। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्चात परिवादी के बताए अनुसार आरोपी के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द्र मीणा से लिवाई गई तो टेबल के उपर की दराज में कुछ कागजों के बीच में एक सफेद लिफाफा मिला जिसको स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द्र मीणा द्वारा चेक कर गिना गया तो उसमें पांच सौ पांच सौ रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के कुल 20 नोट दस हजार रूपये मिले। उक्त नोटो को दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी से मिलान करवाया तो हुबहु हुए। उक्त रिष्वत राषि के नोट स्वत्रन्त्र गवाह श्री योगेन्द्र मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये। रिश्वत राशि दस हजार रूपये का लिफाफा आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के कार्यालय कक्ष की टेबल की उपरी दराज से बरामद हुआ है जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री राजेश कुमार कानि के निजी वाहन से श्री बंन्सीलाल कानि से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर श्री राजेश कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स में से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी साफ गिलास निकलवाकर सीएमएचओ कार्यालय से एक साफ पानी का मंगवाया गया और उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स में से एक साफ रूई का फोहा निकालकर उक्त घोल में डुबोकर निचोडकर बरामद रिश्वत राशि टेबल की उपरी दराज में रखे कागज पर घुमाया जाकर रूई के फोहे को उक्त रंगहीन घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री राजेश कुमार कानि. से कराये जाकर मार्क डी-1 व डी-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के द्वारा रिश्वत राशि को हाथ लगाने की आशंका के चलते उसके दोनो हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रेप बाक्स में रखे दो प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों में पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा तथा दोनो गवाह ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के दांहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी हरिकान्त शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग मटमैला हो गया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि का लिफाफा आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के कार्यालय कक्ष की टेबल की उपरी दराज से एक सफेद कागज के उपर रखा बरामद हुआ था

उक्त सफेद कागज एवं सफेद लिफाफा पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर एक नए सफेद लिफाफे में रख कर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में नियमानुसार सिलचिट कर मार्क एल अंकित कर कपडे की थैली पर चिट लगाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाए जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वत राशि 10,000 रूपये पर एक कागज की चीट लगाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर सीलचीट कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय कक्ष में बैठे श्री पुष्पकान्त राणा कम्प्युटर ऑपरेटर को उक्त रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया की मै केवल कम्प्युटर पर टंकण का कार्य करता हुं मुझे तो श्री हरिकान्त जी सर जो कार्य बताते है वो पूर्ण करके उन्हे देता हुं। अभी थोडी देर पहले श्री सुरेन्द्र पटेल कार्यालय कक्ष में आया था तो मैने उसका पंजियन प्रमाण पत्र उसे दिया था और उसके हस्ताक्षर फाईल पर करवाए थे। यह रिश्वत राशि जो श्री हरिकान्त जी के टेबल की उपरी दराज से मिली है उसको श्री सुरेन्द्र पटेल अभी थोडी देर पहले रखकर गया है। आज से दो दिन पहले भी श्री सुरेन्द्र पटेल उसके कार्य के लिए यहां आया था और श्री हरिकान्त जी सर से मिलकर गया था उनके बीच में लेब के पंजीयन सम्बन्धि वार्ता हो रही थी उसके अतिरिक्त मुझे कोई जानकारी नही है। तत्पश्चात आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा को तसल्ली देकर परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया कि यह रिश्वत राशि आपने स्वयं के लिए ली है या किसी अन्य के लिए तो आरोपी ने बताया की यह राशि मैने सीएमएचओ साहब के नाम से मांगी थी और उक्त राशि पूरी लेते है उसमें से तो मुझे बीस प्रसेन्ट कमीशन देते है। आरोपी द्वारा बताए गए तथ्यो की ताईद हेतु सीएमएचओ को तलब कर आवश्यक पूछताछ की जाएगी। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त दांहिने व बांये हाथ तथा बरामद रिष्वत राषि कार्यालय कक्ष की टेबल की उपरी दराज के धोवन में प्रयुक्त प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास व उपयोग में ली गई रुई के फोहे को जलाकर नष्ट किया गया। परिवादी के लेब पंजियन सम्बन्धि पत्रावली ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर लाने हेतु उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा को निर्देशित किया गया। दिनांक 06.12.2024 समय 01.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री एचएल ताबियार सीएमएचओ को मौके पर तलब कर पूछताछ की गई तो उन्होने बताया की मुझे इस बारे में जानकारी नही है मे तो वीसी में था और वेतन मिलता है मुझे और हरिकान्त शर्मा जो बता रहे है वो गलत कह रहे है। मेरा इनसे किसी प्रकार कोई लेना-देना नही होता है कहकर चुप हो गए। जिस पर सीएमएचओ को उक्त रजिस्ट्रेशन सम्बन्धि जानकारी के बारे में पूछा तो उसने बताया की मेरे पास आवेदन आता है और में नियमानुसार उस पर कार्यवाही करता हूं। लेब पंजीयन की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया की इसकी तो नोटशीट चलती है। इसके बाद सीएमएचओ से परिवादी के लेब रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में फिस के बारें में पूछा तो उसने बताया की लेब पंजीयन की राजकीय शुल्क पांच सौ रूपये है और श्री सुरेन्द्र पटेल के लेब रजिस्ट्रेशन की नोटशीट के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करने पर पास ही बैठे आरोपी ने बताया की उक्त रजिस्ट्रेशन सम्बन्धि समस्त फाईल सीएमएचओ साहब अपने पास मंगवाकर मुझे किस फाईल में कितना लेना है कहते है और उक्त फर्म द्वारा राशि देने के बाद ही उसका पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करते है। जिस पर सीएमएचओ श्री एच एल ताबियार के हस्ताक्षर होते है। पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वही अधिकृत है मै तो सीएमएचओ साहब के कहने पर कार्य करता हु। इस पर सीएमएचओ श्री एच एल ताबियार कुछ नही बोले चुप हो गए। इस प्रकार श्री एचएच ताबियार सीएमएचओ द्वारा उक्त मामले में स्पष्ट जानकारी नही देने से उनकी भूमिका संदिग्ध है जो अनुसंधान से स्पष्ट होगी। दिनांक 06.12.2024 समय 02.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल की निशांदेही से फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर गवाहान एवं संबधितो के हस्ताक्षर कराये। घटना स्थल सीएमएचओ कार्यालय बांसवाडा होने से आम लोगो व विभागीय कर्मचारियों की आवाजाही होने से अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंच किया जाना उचित रहेगा। दिनांक 06.12.2024 समय 02.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा मय ब्यूरो जाप्ता तथा जब्तशुदा सीलचीटबंद धोवन की शीशीयां, रिश्वती राशि 10,000 रूपये सिलचिटशुदा समस्त आर्टिकल मय सरकारी कम्प्युटर, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व डिजिटल टेप रिकॉर्डर को हमराह ले जरिये अपने-अपने वाहनो से सीएमएचओ कार्यालय से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुए। दिनांक 06.12.2024 समय 02.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह, डिटेन शुदा आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा मय ब्यूरो जाप्ता तथा जब्तशुदा सीलचीटबंद धोवन की शीशीयां, रिश्वती राशि 10,000 रूपये सिलचिटशुदा समस्त आर्टिकल मय सरकारी कम्प्युटर, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व डिजिटल टेप रिकॉर्डर को हमराह ले जरिये अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा पहूंचे। जब्तशुदा सीलचीट धोवन की शीशीयां, रिश्वत राशि 10,000 रूपये सिलचिटशुदा इत्यादी को श्री राजेश कुमार कानि को संभलवाये गये। दिनांक 06.12.2024 समय 02.40 पीएम पर दिनांक 06.12.2024 को समय 11.03 एएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक से मोबाईल पर हुई वार्ता एवं दिनांक 06.12.2024 को समय 11.14 एएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक से आमने-सामने हुई लेन-देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री बन्सीलाल कानि0 से फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता का मूल

मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 06.12.2024 समय 04.00 पीएम पर पाबन्दशुदा डॉ राहुल डिन्डोर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आए एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल की लेब पंजियन सम्बन्धि पत्रावली लाकर प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली परिवादी के लेब पंजियन प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिस पर श्री हिरालाल ताबियार सीएमएचओ के हस्ताक्षर मय सील अंकित है तथा पत्रावली में परिवादी द्वारा प्रेषित पंजियन हेतु दस्तावेज संलग्न है। जिसकी प्रमाणित प्रतियां उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली कि गई। डॉ राहुल डिन्डोर से लेब पंजियन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क के बारे में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा भी उक्त पंजियन हेतु राजकिय शुल्क पांच सौ रूपये होना बताया। इसके बाद डा राहुल डिन्डोर से परिवादी के लेब पंजियन सम्बन्धि नोटशीट के बारे में पूछा गया तो बताया की नोटशीट के बारे में जानकारी नही है केवल पत्रावली ही उपलब्ध है जो मैने आपको प्रस्तुत की है। तत्पश्चात आज दिनांक 06.12.2024 को परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व आरोपी श्री हरिकान्त के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग लेनदेन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर रिकोर्ड वार्ता को स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व आरोपी के समक्ष चलाकर सुनाया गया तो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा द्वारा अपनी-अपनी आवाज होने की ताईद की गई। एसीबी के डिजीटल टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड शुदा दिनांक 04.12.2024 को रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 05.12.2024 को हुई वार्ता एवं दिनांक 06.12.2024 को हुई रिष्वत लेनदेन वार्ता को मौके पर उपस्थित आये डॉ. राहुल डिन्डोर को सुनाई गई तो उक्त वार्ता में एक आवाज श्री हरिकान्त शर्मा की होना बताया गया। डॉ राहुल डिन्डोर ने बताया कि विभाग के कार्य में साथ-साथ काम करने की वजह से श्री हरिकान्त शर्मा की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। दिनांक 06.12.2024 समय 05.30 पीएम पर आरोपी को ब्यूरो इकाई पर ब्यूरो जाब्ता की निगरानी में रख मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, मकानि मय ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से आरोपी के कस्बा सिंगवा औदिच्य वाडा गली जिला बांसवाडा स्थित रिहायशी मकान की खाना तलाशी के लिये रवाना हुए। दिनांक 06.12.2024 समय 06.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा आरोपी के कस्बा सिंगवा औदिच्य वाडा गली जिला बांसवाडा रिहायशी मकान पर पहूचे जहां जरिये दूरभाष तलबीदाशुदा मकानि श्रीमति सविता 222 एवं श्री तीलकराज कानि 843 उपस्थित आए। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता की उपस्थिति में खाना तलाशी शुरु की गई। दिनांक 06.12.2024 समय 07.30 पीएम पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के रिहायषी मकान कस्बा सिंगवा औदिच्य वाडा गली जिला बांसवाडा की खाना तलाषी ली जाकर फर्द खाना तलाषी मूर्तिब कर शामील कार्यवाही की गई। बाद खाना तलाषी महिला कानि सवित एवं श्री तीलकराज कानि को रुखसत किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से कस्बा सिंगवा औदिच्य वाडा गली जिला बांसवाडा से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुए। दिनांक 06.12.2024 समय 08.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह, व ब्यूरो जाप्ता मय लेपटॉप, प्रिन्टर आवश्यक संसाधन के जरिये सरकारी वाहन से कस्बा सिंगवा औदिच्य वाडा गली जिला बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा। दिनांक 06.12.2024 समय 08.15 पीएम पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताए अनुसार उसके भाई श्री गिरीराज कान्त शर्मा को जो ब्यूरो चौकी पर उपस्थित है को दी गई। दिनांक 06.12.2024 समय 08.15 पीएम पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक को भ्र.नि.ब्यूरो बांसवाड़ा के पत्रांक 1470 दिनांक 06.12.2024 आवाज का नमूना हेतु व स्पष्टीकरण प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक 1471 दिनांक 06.12.2024 दिया गया तो आरोपी ने उसी पत्र पर अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया है साथ ही अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया कि बवक्त न्यायालय में अपना स्पष्टीकरण पेश करूंगा। दोनो पत्रों पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 06.12.2024 समय 08.50 पीएम पर दिनांक 04.12.2024 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल एवं आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के मध्य मोबाईल एवं आमने सामने हुई वार्ता एवं दिनांक 05.12.2024 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 06.12.2024 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने-सामने एवं जरिये मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंन्सीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा जाकर मूल पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव

कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 06.12.2024 समय 09.40 पीएम पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बन्सीलाल कानि. 63 के मोबाईल वनप्लस कम्पनी से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बन्सीलाल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 06.12.2024 समय 10.40 पीएम आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के निवास स्थान की खानातलाषी के दौरान् श्री राजेश कुमार कानि. ने श्री दिनेश कुमार सउनि के मोबाईल से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंषीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेन ड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव कन्सिसटेन्ट बरंग सिल्वर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। समय 11.20 पीएम पर दिनांक 04.12.2024 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल एवं आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा के मध्य मोबाईल एवं आमने सामने हुई वार्ता एवं दिनांक 05.12.2024 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 06.12.2024 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने-सामने एवं जरिये मोबाईल पर हुई वार्ता, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग नीला व सफेद 16 जी.बी. जिस पर कन्सिसटेंट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क ड अंकित कर जब्त किया गया। समय 11.25 पी.एम. पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु जरिये पत्रांक 1469 दिनांक 06.12.2024 से श्री दिनेश कुमार सउनि,श्री राजेश कुमार कानि, श्री बन्सीलाल कानि को जरिये सरकारी वाहन राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा के लिये रवाना किए। दिनांक 07.12.2024 समय 12.30 ए.एम. पर श्री दिनेश कुमार सउनि मय स्टाफ के सदस्यों सहित आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये और आरोपी के मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेष किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.40 ए.एम. पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं परिवादी के मध्य दिनांक 04.12.2024, 05.12.2024 एवं 06.12.2024 मोबाईल वार्ताए हुई थी आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप शर्मा से लिवाई गई थी तब आरोपी के पास से मोबाईल बरामद हुआ था जिसे स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप शर्मा कां सम्भलाया गया था, जिसे जब्त करना आवष्यक होने से आरोपी के मोबाईल फोन को जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया जाकर सिलचिट किया गया। समय 01.20 ए.एम. पर जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री राजेश कुमार कानि 555 को निर्देशित किया गया। परिवादी श्री सुरेन्द्र पटेल व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द्र मीणा व श्री प्रदीप शर्मा को मुनासिब हिदायत के रुखसत किया गया। समय 04.30 ए.एम. पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा हेतु तेहरीर देकर श्री दिनेश कुमार सउनि., श्री बन्सीलाल कानि जरिये सरकारी वाहन मुनासिब हिदायत के रवाना किर्या गया। समय 05.00 एएम पर श्री दिनेश कुमार सउनि, श्री बन्सीलाल कानि जरिये सरकारी वाहन आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा करा ब्यूरो इकाई बांसवाडा हाजीर आये। श्री दिनेश कुमार सउनि ने पुलिस थाना कोतवाली की रोजनामचा रपट पेष की जिसे शामील पत्रावली किया गया। समय 10.00 ए.एम. पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा से प्राप्त करने हेतु कार्यालय से श्री दिनेश कुमार सउनि एवं श्री बंन्सीलाल कानि को मय सरकारी वाहन के रवाना किया गया। समय 10.20 एएम पर आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक को पुलिस थाना कोतवाली बांसवाड़ा से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा पर श्री दिनेश कुमार सउनि मय स्टाफ उपस्थित आया और सउनि ने कोतवाली थाने की रोजनामचा रपट प्रस्तुत की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा को जरिये जे.सी. रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर के समक्ष पेश करने हेतु जरिये सरकारी वाहन से रवाना हुए। प्रकरण में आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी

रिष्वत राषि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी द्वारा परिवादी के लेब पंजियन प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी की रिपोर्ट के अनुरूप कुल 30,000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 04.12.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाई गई। जिसमें आरोपी ने परिवादी से उसके लेब पंजियन प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर कुल 25,000/- हजार रूपये लेने को सहमत हुआ तथा 15,000/- रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान ग्रहण किये गये एवं दिनांक 06.12.2024 को रिश्वत लेन-देन वार्ता के दौरान शेष रिश्वत राशि को 10,000/- रूपये मांग अनुसार रिष्वत राषि ग्रहण की गई जो बरामद की जा चुकी है। इस प्रकार आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिष्वत राषि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर दिनांक 06.12.2024 को गिरफ्तार किया गया है। जो की जुर्म जूर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संषोधित) अधिनयिम 2018 के प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेष मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरिकान्त शर्मा पिता स्वं श्री महेशचन्द्र शर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी सिंगवा औदिच्य वाडा गली जिला बांसवाडा हाल जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बांसवाडा के विरूध्द पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रतन सिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डुंगरपुर, को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 17 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1570-73 दिनांक 08-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-मिशन निदेशक (एन0एच0एम0) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवांए जयपुर राज0। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ratan Singh Rajpurohit **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)